न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निग0/2010– शिवपुरी

निगरानी 847-I/10

बाबूलाल पुत्र लटकू
निवासी– चिन्नोद, तहसील–करैरा,
जिला–शिवपुरी

..... आवेदक

बनाम

1. मनीराम 2. दीनदयाल पुत्रगणगण लटकू
3. मक्खो पत्नी लटकू
समस्त निवासीगण–चिन्नोद,तहसील–करैरा,
जिला–शिवपुरी

..... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 226/2008–09 निग0 बाबूलाल बनाम मनीराम आदि आदेश दिनांक 26–04–2010 को पारित ।

निगरानी के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना आदेश पारित किया इस कारण भी आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, विवादित आराजी के मूल भूमि स्वामी–रत्ती थे उनके दो पुत्र– (ए) उम्मेदी (निःसंतान फोत), (बी) लटकू में विवादित आराजी विभाजित हुई फिर लटकू के तीन पुत्र (ए) बाबूलाल (बी) मनीराम (सी) दीनदयाल (डी) मक्खो (पत्नी) उम्मेदी, लटकू के बड़ा पुत्र बाबूलाल के पास रहता था जब उम्मेदी की मृत्यु हुई तो उम्मेदी की आराजी पर लटकू द दो बहिने (ए) राजाबेटी (बी) रमको के नाम नामांतरण हुआ (ए) लटकू (बी) राजाबेटी (सी) रमको तीनों ने बाबूलाल के नाम वसीयत किया जब तीनों की मृत्यु हो गई तब बाबूलाल ने तहसील न्यायालय में नामान्तरण वसीयत के आधार पर चाहा, वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 13–02–2008 स्वीकार हुआ, इसी आदेश से दुखी होकर अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 847–एक/10 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24. 8.16	आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 226/08–09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.4.10 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि तहसीलदार करैरा के द्वारा अपने प्रकरण कमांक 13/07–08/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 13.2.08 के द्वारा ग्राम टोडा करैरा की भूमि सर्वे कमांक किता –9 रकवा 2.34 है0 कौ भूमिस्वामी लटकू के फौत होने पर वसीयत के आधार पर बाबूलाल के हक में वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व मनीराम आदि के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकरी करैरा के समक्ष अपील मय अवधि विधान की धारा–5 के तहत प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 206/07–08 अषील में पारित आदेश दिनांक 8.6.09 को अपील स्वीकार की गई। अंनुविभागीय अधिकारी करैरा के उक्त आदेश दिनांक 8.6.2009 के विरूद्व आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विधिवत प्रकरण कमांक 226/08–09/निगरानी पंजीबद्व किया गया तथा आदेश दिनांक 26.4.10 के द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 26.4.10 विरूद्व आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3— आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया है कि विवादित आराजी के मूल भूमिस्वामी रत्ती थे, रत्ती के दो पुत्र लटकू एवं उम्मेदी, उम्मेदी की मृत्यु हो गई, उम्मेदी निःसंतान थे। लटकू में विवादित आराजी विभाजित हुई फिर लटकू के तीन पुत्र थे बाबूलाल, मनीराम, एवं दीनदयाल आदि । मक्खो उम्मेदी की बेवा थी। जब उम्दी की मृत्यु हुई तो उम्मेदी की आराजी पर लटकू व दो बहिने राजाबेटी व रमको के नाम नामांतरण हुआ। लटकू राजाबेटी ओर रमको ने बाबूलाल के नाम वसीयत किया जब तीनो की मृत्यु हो गई तब बाबूलाल ने तहसील न्यायालय में नामांतरण वसीयत के आधार पर चाहा वसीयत के आधर नामांतरण आदेश दिनांक 13.2.2008 स्वीकार हुआ । उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4—मैने अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया एवं अभिलेख का अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि आवेदक बावूलाल के द्वारा मृतक के स्थान पर वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग तहसील न्यायालय में की है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक के द्वारा उक्त आवेदन किस दिनांक को किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई दिनांक और पीठासीन अधिकारी की टीप अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा दिनांक .24.3.07 को इश्तहार जारी किये जाने का उल्लेख किया गया किन्तु प्रकरण में न तो कोई इश्तहार जारी किया गया और न ही ग्राम में मुनादी करायी गई। आवेदक ने अपने आवेदन और कथनों में यह भी नहीं बताया कि भूमिस्वामी की मृत्यु किस दिनांक को हुई है। इस बावत कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं

किया है। सरपंच द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें 5 वर्ष पूर्व मृत्यु होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन दिनांक को कोई उल्लेख नहीं है। तहसीलदार द्वार भी कोई वारिसानों की जानकारी ली गई और न ही उन्हें व्यक्तिगत सूचना ही दी गई है इस प्रकार प्रथम दृष्टया तहसील न्यायालय के द्वारा विधिवत नामांतरण प्रकिया का पालन नहीं किया है। अभिलेख से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदक के द्वारा न तो मूल वसीयत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाकर एक्जी. करायी गई है, और न ही दोनों साक्षियो के कथन ही कराये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया तहसीलदार के द्वारा अपनी पद गरिमा के विरूद्व लापरवाहीपूर्ण तरीके से कार्यवाही करते हुये और वसीयत की सत्यता की सूक्ष्मता से जांच किये वगैर आलोच्य आदेश पारित किया है जिसे अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निरस्त किया गया है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश होने के कारण उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य